माननी[illegible] [illegible] महोदय, राज[illegible] [illegible]डल ग्वालियर म[illegible] उज्जैन [illegible]

प्रकरण क्रमांक 1073/2015 अपील   विविध 9181-[illegible]

(137)

निरस्ती दिनांक 16-2-16

जिला - मन्दसौर

हजरत सूफी अब्दुल रहमान .... अपीलांट

विरूद्ध

म.प्र.शासन आदि ....रिस्पॉडेंट्स

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म.प्र.भू राजस्व संहिता ।

माननीय महोदय,

प्रार्थी अपीलांट की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है :-

श्री काजी अखलाक कुरेशी अभि० द्वारा उज्जैन कैम्प पर प्रस्तुत। [signature] 21-9-16

01-- यह कि, अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें दिनांक 16 फरवरी 2015 को आदेश पारित करते हुए उपरोक्त प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है ।

02-- यह कि, प्रार्थी अपने अभिभाषक महोदय, पर पूर्ण रूप से निर्भर था अभिभाषक महोदय उक्त दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए इस कारण से प्रार्थी अपीलांट की अपील को अदम पैरवी में निरस्त कर दी गई है । प्रार्थी को विधि विधान की जानकारी नहीं होने से तथा उपरोक्त आदेश की जानकारी इन्टरनेट पर देखने के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष यह आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

03-- यह कि, उपरोक्त प्रकरण को पुनः नंबर पर लिया जाकर गुणदोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपायी किया जाना भविष्य में संभव नहीं होगा।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त प्रकरण को पुनः नंबर पर लिये जाने की कृपा करे ।

इति दिनांक 21.09.2016

प्रार्थी

सुफी अब्दुल रहमान पिता मोहम्मद कासीम रजा कादरी निवासी--ग्राम खीलचीपुर तह.व जिला मंदसौर .... अपीलांट

-द्वारा अभिभाषक -

[signature]

काजी अखलाक एहमद कुरेशी

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 9981-PBR/16 जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.4.2017	आवेदक की ओर से काजी अरशद कुरैशी अभिभाषक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। उस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	
(हस्ताक्षर)		

[कृ. प. उ.